

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत :- अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली जिला पाली राज.

अपीलाण्ट्स

बनाम

रेस्पोंडेंट्स

श्रीमती सुखी देवी धर्म पत्नी श्री शंकरलाल
जाति मेघवाल निवासी बीजापुर तह.बाली
जिला पाली राज.

1. स्व. दीपभाई पुत्र सामल भाई जाति
पटेल साकिन देलवाडा तह.वडाली
जिला साबरकाठा गुजरात के का.मु.
1.1 प्रवीण भाई पुत्र सामल भाई जाति पटेल
साकिन देलवाडा तह.वडाली जिला साबरकाठा
गुजरात
2. महेन्द्र नरेश भाई माली पुत्र नरेश कुमार जाति
निवासी आवकार सोसायटी खेडब्रह्मा जिला
साबरकाठा गुजरात
3. श्रीमान तहसीलदार, बाली जिला पाली राज.

किस्म मुकदमा : राजस्व विविधि प्रकरण संख्या : 70 / 2024

(जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2024 / 84)

स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जा इन हुकम की तामिल में जारी हुय
29.02.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। राजस्व (ग्रुप-2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प. 7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय पाली के पत्रांक/कोर्ट/एडीएम/2023/24 दिनांक 10.01.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित होकर पत्रावली दिनांक 29.04.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली</p>	<p>क्र. : 341 दिनांक : 29/2/24 की नोटिस जारी।</p>
29/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में मूल पत्रावली से प्रार्थना का पत्र पेश कर आपस में ब्यामंती लेखे से प्रकरण को शांति से चलाने एवं प्रकरण को सिद्धोत्तर किये जाने से मूल पत्रावली निरस्त किये जाने पर स्थगन प्रार्थना पत्र की प्रार्थना को निरस्त की जाती है। पत्रावली के मूल प्रमाणों को ब्यामंती से कम ले।</p> <p style="text-align: right;">अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)</p>	